न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– गुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
97 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	21.12.2020	03.09.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री ओम प्रकाश सैनी पुत्र श्री प्रेम चन्द सैनी एफ.बी.ओ मैसर्स ओम किराणा स्टोर ऑवा रोड दूनी जिला टोंक राज0 निवासी दुर्गापुरा ढाणी दूनी जिला टोंक राज0
2– मैसर्स ओम किराणा स्टोर ऑवा रोड दूनी जिला टोंक राज0
3–श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री बद्री नारायण चौधरी प्रोपरायटर मैसर्स लक्ष्य हॉलसेलर एण्ड कम्पनी लक्ष्मी नारायण सरोवर पवालिया रोड सांगानेर जयपुर राज0
4– मैसर्स लक्ष्य हॉलसेलर एण्ड कम्पनी लक्ष्मी नारायण सरोवर पवालिया रोड सांगानेर जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 03.09.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.09.2020 को समय 3.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स ओम किराणा स्टोर ऑवा रोड दूनी जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से ओम प्रकाश सैनी पुत्र श्री प्रेम चन्द सैनी एफ.बी.ओ मैसर्स ओम किराणा स्टोर ऑवा रोड दूनी जिला टोंक राज0 निवासी दुर्गापुरा ढाणी दूनी जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय् लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे चाय लक्ष्मी आसाम सी.टी.सी ब्राण्ड (Tea Laxmi ... CTC Brand) जिसके बैच नं0 अनुपस्थित व पैकिग दिनांक जुलाई 2020 अंकित थी, ... हुआ था, का निरीक्षण करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:59 IST
Reason: SelfAttested

1311

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री ओम प्रकाश सैनी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता ओम प्रकाश सैनी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 500-500 ग्राम के 36 नग **चाय लक्ष्मी आसाम सी.टी.सी ब्राण्ड (Tea Laxmi Assam CTC Brand)** रखे हुये मे से 500-500 ग्राम के 4 नग का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री ओम प्रकाश सैनी को रू0 460/-अक्षरे चार सौ साठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **चाय लक्ष्मी आसाम सी.टी.सी ब्राण्ड (Tea Laxmi Assam CTC Brand)** 4 नग 500-500 ग्राम कुल मात्रा 2 किलोग्राम को बराबर-बराबर (एक भाग 500-500 ग्राम) को ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड चयन कर अलग-अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे रखकर डिब्बो के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं कमांक I-2585 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I-2585 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. ओम प्रकाश सैनी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।खाद्य पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री ओम प्रकाश सैनी ने मौके पर **चाय लक्ष्मी आसाम सी.टी.सी ब्राण्ड (Tea Laxmi Assam CTC Brand)** बतौर वारंटी बिल मैसर्स लक्ष्य हॉलसेलर एण्ड कम्पनी लक्ष्मी नारायण सरोवर पवालिया रोड सांगानेर जयपुर राज0 बिल कमांक/इन्वॉइस नं0 952 दिनांक 09.08.2020 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3562 दिनांक 12.10.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1269/एक्ट/2020/1343 दिनांक 28.0[illegible] के अनुसार ओम प्रकाश सैनी से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **चाय लक्ष्मी आसाम सी.टी.सी ब्राण्ड (Tea Laxmi Assam CTC Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:04:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का चाय लक्ष्मी आसाम सी.टी.सी ब्राण्ड (Tea Laxmi Assam CTC Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस चाय लक्ष्मी आसाम सी.टी.सी ब्राण्ड (Tea Laxmi Assam CTC Brand) का विक्रय कर रहा था वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया चाय लक्ष्मी आसाम सी.टी.सी ब्राण्ड (Tea Laxmi Assam CTC Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री ओम प्रकाश सैनी पुत्र श्री प्रेम चन्द सैनी एफ.बी.ओ मैसर्स ओम किराणा स्टोर ऑवा रोड दूनी जिला टोंक राज0 निवासी दुर्गापुरा ढाणी दूनी जिला टोंक राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0)अप्रार्थी श्री राजेन्द्र चौधरी पुत्र श्री बद्री नारायण चौधरी प्रोपरायटर मैसर्स लक्ष्य हॉलसेलर एण्ड कम्पनी लक्ष्मी नारायण सरोवर पवालिया रोड सांगानेर जयपुर राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0)आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

3.9.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 16:04:59 IST
Reason: SelfAttested

1313

Scanned by CamScanner